राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2192/2021

परमाराम गौदारा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर, राज.।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर, नागौर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.07.2021
आदेश की दिनांक : 09.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर सिंचाई विभाग में दिनांक 23.01.1978 को हैल्पर के पद पर की गई थी। उसके पश्चात् अपीलार्थी को सिविल मिस्त्री के पद पर मर्ज किया गया तथा दिनांक 14.01.1981 के आदेश के द्वारा दिनांक 23.01.1981 से अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। इसके पश्चात उप शासन सचिव, सिंचाई विभाग के आदेश दिनांक 05.07.1991 के आदेश द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप 22.01.1988 से स्थायी घोषित किया गया तथा सिंचाई विभाग द्वारा अधिशेष करने पर राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला परिषद नागौर द्वारा ग्राम सेवक/पदेन सचिव के पद पर चयन करके दिसम्बर, 2000 में पदस्थापन किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने उक्त पद पर दिनाँक 14.12.2000 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी दिनांक 30.04.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी को पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया। विभागीय जांच में अपीलार्थी को दिनांक

29.11.2019 को आरोपमुक्त किया गया तथा विभागीय कार्यवाही की अवधि के समस्त परिलाभ दिये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी सिंचाई विभाग में मिस्त्री के पद पर अधिशेष घोषित करने के समय दिसम्बर 2000 में वेतनमान 4000–100–6000 में 4100/– रुपये पर कार्यरत् था तथा अपीलार्थी को उक्त वेतनमान में ही प्रत्यर्थी विभाग में ग्राम सेवक के पद पर समायोजित करते हुए पदस्थापन किया गया तथा अपीलार्थी की सिंचाई विभाग की सेवाओं को मानते हुए ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा विभाग द्वारा नवम्बर 2019 में ही जांच समाप्त किये जाने के पश्चात् भी अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की अन्य जांच विचाराधीन नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी के पेंशन परिलाभों के भुगतान में देरी होने के कारण तथा ब्याज की जिम्मेदारी से बचने के लिए जानबूझकर प्रत्यर्थी सं. 4 ने अवैध व अनुचित रूप से राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 08.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी की 15.12.2000 से वेतनमान को 4000–100–6000 से 3200–85–4900 में परिवर्तित करते हुए सेवानिवृत्ति की दिनांक तक अपीलार्थी के समस्त वेतनमानों परिवर्तन कर रिफिक्सेशन करते हुए 3,97,794/– रुपये की वसूली निकालते हुए 49,300/– वेतन की जगह 46500/– रुपये पर अंतिम वेतन फिक्स करते हुए पेंशन परिलाभों का जून 2020 में भुगतान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 29.11.2019 को विभागीय जांच में दोषमुक्त किया गया था। उसके पश्चात भी अनुचित रूप से अपीलार्थी का पेंशन परिलाभ का भुगतान रोका गया। अपीलार्थी को देरी से पेंशन परिलाभों का भुगतान किया। इस कारण से अपीलार्थी राजस्थान पेंशन नियम–1996 के नियम–89 के अनुसार पेंशन परिलाभों के देरी से भुगतान पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> ''(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी सं0–4 द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 08.06.2020 को निरस्त किया जावें तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी को दिसम्बर 2000 में ग्राम सेवक के पद पर समायोजन के समय वेतन श्रृंखला 4000–100–6000 में 4100/– पर फिक्सेशन मानते हुए आगामी समस्त चयनित वेतनमान व पुनरीक्षित वेतनमानों को जो पूर्व में आलौच्य आदेश जारी करने से पूर्व भुगतान किया गया था, उसको यथावत् रखते हुए अंतिम वेतन 49300/– के अनुसार

पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन व अन्य पेंशन परिलाभों का 9 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी को भुगतान प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें। अन्य कोई भी प्रत्यर्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध आदेश हो, उसको अपास्त घोषित किया जावें।

(ख) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि पेंशन विभाग द्वारा यह आक्षेप किया गया है कि अपीलार्थी के ग्राम सेवक के पद पर समायोजन पर 3200–4900 की वेतन श्रंखला में पातेय वेतन पर स्थिर किया जायेगा जबकि कार्मिक को पूर्व प्राप्त वेतन 4000–8000 में ही समायोजन कर वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई है। अतः संशोधित कर अधिक वसूली करायें जाने के आदेश की पालना में वेतनमान संशोधित किया जाकर रिफिक्सेशन अनुसार 3,97,794/– रूपये की वसूली आरोपित की गई है। अपीलार्थी को दिनांक 30.04.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत किया गया, लेकिन नियम 16 अन्तर्गत विचाराधीन जांच का निर्णय दिनांक 29.11.2019 को होने के तुरन्त बाद कार्यवाही करते हुए पंचायत समिति परबतसर के पत्रांक 2163–65 दिनांक 30.12.2019 के द्वारा पेंशन प्रकरण संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर को भिजवा दिया गया था। पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति में हुए पत्राचार के कारण पेंशन आदेश जारी करने में विलम्ब हुआ था। आक्षेपों की पूर्ति उपरांत पेंशन विभाग के माह जून–2020 में अपीलार्थी का पेंशन आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में विभाग द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया गया है। इस प्रक्रिया में जो भी समय लगा वह अपीलार्थी के विरूद्ध 16 सीसीए की जांच विचाराधीन होने के कारण से समय लगा। यह भी अंकित किया गया है कि पेशन सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, अजमेर के पत्र क्रमांक 31534–35 दिनांक 23.01.2020 व पत्रांक 36939–40 दिनांक 16.03.2020 में वर्णित आक्षेप कार्मिकों ग्रामसेवक के पद पर समायोजन पर 3200–4900 की वेतन श्रंखला में पातेय वेतन पर स्थिर किया जायेगा जबकि कार्मिक को पूर्व प्राप्त वेतन 4000–8000 में ही समायोजन कर वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई है। अतः संशोधित कर अधिक वसूली करायें, की पालना में वेतनमान संशोधित किया जाकर रिफिक्सेशन अनुसार 3,97,794/– रूपये की वसूली आरोपित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया।

4. अपीलार्थी ने सर्वप्रथम यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को ग्रामसेवक के पद पर समायोजन के समय वेतन श्रृंखला 4000–6000 में 4100/– रुपये पर फिक्शेसन मानते हुए आगामी समस्त चयनित वेतनमान एवं पूनरीक्षित वेतनमान यथावत रखते हुए अंतिम वेतन 49300/– पर पेंशन ग्रेचुटी, कमोटेशन एवं अन्य परिलाभ 9 प्रतिशत ब्याज के साथ दिलाया जायें। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी ग्रामसेवक के पद पर समायोजित हुआ था। ऐसे में अपीलार्थी को ग्रामसेवक के पद का वेतन प्रदान किया गया है। अपीलार्थी पूर्व में 4000–8000 की वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहा था, परंतु समायोजन के पश्चात उसकी वेतन श्रृंखला कम करते हुए ग्राम सेवक के पद की वेतन श्रृंखला 3200–4900 में फिक्शेसन किया गया। जिसके आधार पर अपीलार्थी को पेंशन परिलाभ दिये गये।

5. माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5400/2015 राज कुमार अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य के समान मामले में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> "In the case at hand, the petitioner was not absorbed on the equivalent post, and therefore, contemplation under order/communication dated 23rd January, 2001, for protection of pay was provided. The petitioner, accepting the contemplation of pay protection joined the post of 'Gram Sewak', with the Panchayati Raj Department. Hence, the case at hand falls within the contemplation of Clause (iii) of Rules 26 (1)(a).
>
> In the case of M. M. Bhavsar (supra), in somewhat similar circumstances and factual matrix the option of the incumbent to lower category of post under the State with pay protection was not treated as waiver of protection of pay to which incumbent was entitled on the date of absorption. In the case at hand, the petitioner opted for absorption under the Panchayati Raj Department on the post of 'Gram Sewak' in the backdrop of a specific contemplation as to pay protection accorded to him vide order/communication dated 23rd January, 2001. That fact that the petitioner continued in the same protected pay scale and retired attaining the age of superannuation on 30th September, 2016, is also not in dispute. Thus, while the petitioner was absorbed on the post of 'Gram Sewak' a post in lower pay scale but with pay protection, would not amount to his waiver of the protection of pay accorded by the State-respondents vide order dated 23rd January, 2001.
>
> No other point was raised by the counsel for the parties for consideration of this Court.

For the reasons and discussion aforesaid, the writ application succeeds and is hereby allowed.

Impugned orders dated 20th October, 2010 (Annexure-5), and 9th March, 2012 (Annexure-8), qua the petitioner; are hereby quashed. As a consequence thereof, the petitioner would be entitled all consequential benefits. "

6. अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से प्रकट होता है कि जहां याची को ग्राम सेवक के निम्न पद पर समायोजित किया गया हो, वहां पर पे–प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को पे–प्रोटेक्शन करने के बाद उसी श्रृंखला में रखा गया था, जो वह समायोजन के पूर्व प्राप्त कर रहा था। अतः अपीलार्थी का निम्न वेतन श्रृंखला में पे–फिक्शेसन करना उचित नहीं है।
7. हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी दिनांक 30.04.2019 को सेवानिवृत्त हो गया था, उसके बाद अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने में देरी हुई है, जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती होना नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत देरी से भुगतान हुए पेंशन परिलाभों पर ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के ग्राम सेवक के पद पर समायोजन पर वेतन श्रृंखला 4000–6000 में ग्रेड–पे 4100/– रुपये पर फिक्शेसन मानते हुए उसे समस्त वेतनमान एवं पूनरीक्षित वेतनमान का लाभ दें और उसी आधार पर अपीलार्थी को पेंशन, ग्रेचुटी, कमोटेश व अन्य परिलाभों का भुगतान करें। अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि का भुगतान भी किया जाये। अपीलार्थी को जो पूर्व में पेंशन एवं ग्रेचुटी का लाभ देरी से प्रदान किया गया है, उस पर अपीलार्थी को राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज राशि का भुगतान भी पृथक से प्रदान किया जावें।
9. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)